# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

**(कैलाश चन्द्र शर्मा, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)**

प्रकरण संख्याः— 60 / 2017
प्रविष्टि दिनांकः— 12.10.2017

घीसी पुत्री पन्ना जाति मीणा निवासी सारूकावास तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
..... अपीलाण्ट

बनाम

1—उदयलाल पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी बडला तहसील देवली जिला टोंक
2—सुनिता पुत्री नारायण जाति मीणा निवासी बडला तहसील देवली जिला टोंक
3—रतनी पत्नि स्व. नारायण जाति मीणा निवासी बडला तहसील देवली जिला टोंक
4—तहसीलदार देवली जिला टोंक

..... रेस्पोडेण्ट्स

**अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 331 दिनांक 22.12.2017 व नामान्तकरण संख्या 496 दिनांक 23.06.2011 तहसीलदार देवली**

उपस्थितः (1) श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलाण्ट
(2) श्री पर्यूष जैन अभिभाषक रेस्पाडेण्ट्स संख्या 1 ता. 3

## निर्णय

**दिनांक 07.01.2019**

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार देवली द्वारा नामान्तकरण संख्या 331 दिनांक 22.12.2007 व नामान्तकरण संख्या 496 दिनांक 23.06.2011 को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट व्यथित होकर नामान्तकरण को विधि विधान एंव तथ्यो के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की हैं

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्टस जरिये सम्मन की गई। मूल नामान्तकरण तलब किया गया। अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता. 3 के पिता व पति नारायण ने राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलिभगत कर नामान्तकरण संख्या 331 दिनांक 22.12.2007 व 496 दिनांक 23.06.2011 गलत रूप से स्वीकार करा लिया। पन्ना पुत्र केसरा जाति मीणा निवासी बडला की शादी धापू पुत्री कालू ग्राम सनोदिया तहसील टोडारायसिंह से हुई थी,जिसके रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता व रेस्पो0 संख्या 3 के पति नारायण पैदा हुआ था, किन्तु कुछ समय बाद धापू पत्नि पन्ना की मृत्यु हो जाने के बाद अपीलांट के पिता पन्ना द्वारा अपीलांट की माता धापू पुत्री लालू ग्राम छातडी तहसील देवली से नाता विवाह किया जिससे अपीलांट पैदा हुई। इस प्रकार अपीलांट मृतक पन्ना की जायज और वैध संतान है। अपीलांट का विवाह यादराम निवासी सारूकाबाद तहसील टोडारायसिंह के साथ हुई। अपीलांट की माता जीवित रहने तक अपने पिता के पास रहती थी, उनकी मृत्यु के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

पश्चात अपीलांट की माता अपीलांट के साथ निवास करने लगी जिसकी मृत्यु दिनांक 13.09.2016 व अपीलांट के पिता पन्ना की दिनांक 27.07.2007 को हो गई है,जिसकी फोती का नामान्तकरण रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता व 3 के पति नारायण ने गुपचुप तरीके से प्रार्थना पत्र पेश कर अपने नाम नामान्तकरण स्वीकार करा लिया तथा नारायण की दिनांक 01.04.2011 को मृत्यु होने के बाद रेस्पो0 संख्या 1 ता. 3 के पक्ष मे दूसरा नामान्तकरण संख्या 496 दिनांक 03.06.2011 को स्वीकार करा लिया। अपीलांट के पिता पन्ना की मृत्यु के पश्चात रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता व 3 के पति नारायण द्वारा जो नामान्तकरण भरने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही मे राजस्व अधिकारियो द्वारा वारीसान की भली प्रकार से जांच नही कर मात्र अकेले नारायण के नाम नामान्तकरण भर दिया,जबकि अपीलांट मृतक पन्ना लाल की वैध व जाईन्दा संतान थी,जिसका उक्त वर्णित आराजियात मे रेस्पो0 के पिता व पति के बराबर हिस्सा होना चाहिए था। रेस्पो0 के पिता व पति ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर पन्ना के कोई पुत्री नही होने का तथ्य बता कर मात्र अकेले नारायण के नाम नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया तथा बाद का नामान्तकरण संख्या 496 दिनांक 23.06.2011 रेस्पो0 के हक मे भरा गया जो विविध विरूध एंव प्रभाव हीन है। अपीलांट का आज भी अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट को उनके नाम नामान्तकरण स्वीकार किये जाने के बारे मे बताये जाने पर अपीलांट ने उक्त नामान्तकरण संख्या 331 दिनांक 22.12.2007 की दिनांक 04.09.2017 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 05.09.2017 को प्राप्त हुई,जिसके बाद अपीलांट बीमार हो गई तथा दूसरा नामान्तकरण संख्या 496 दिनांक 23.06.2011 की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 22.09.2017 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल अपीलांट को दिनांक 27.07.2017 को सायंकाल प्राप्त होने व उसके पश्चात 5 दिन का दिनांक 03.10.2017 तक राजकीय अवकाश होने व उसके बाद अचानक अपीलांट के उल्टी दस्त से पीडित होने के कारण चलने फिरने की हालत नही होने व रूपये पैसे का इंतजाम कर अपीलांट द्वारा बिना किसी विलम्ब के अपील पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद मानते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार देवली द्वारा तस्दीक किये किये दोनो नामान्तकरण को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता. 3 ने जवाबी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा नामान्तकरण संख्या 331 दिनांक 22.12.2007 व नामान्तकरण संख्या 496 दिनांक 23.06.2011 दोनो नामान्तकरण की एक ही अपील प्रस्तुत की है,जबकि दोनो नामान्तकरणो की अपील पृथक–पृथक पेश करनी चाहिए थी। अपीलांट व रेस्पो0 मीणा समाज से संबंधित है मीणा समाज मे लडकी की शादी के बाद पिता की सम्पत्ति मे कोई अधिकार नही रहता है तथा मीणा समाज पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम भी लागू नही होता है। अपीलांट द्वारा उक्त अपील मियाद बाहर पेश की गयी है मियाद मे पेश नही करने का कोई उचित कारण व दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये है। विवादित जमीन पर अपीलांट का कब्जा नही है बल्कि रेस्पो0 का कब्जा है। नामान्तकरण स्वीकार कराने से पूर्व विधिवत रूप से वारिसान की व मौके की कब्जे की जांच कर नामान्तकरण स्वीकार किये गये है। नामान्तकरण मे किसी प्रकार की त्रृटि नही है। अपीलांट द्वारा पन्ना की पुत्री होने बाबत कोई दस्तावेजात पेश नही किया गया है मुस0 धापू पन्ना की पत्नि नही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक



अतिरिक्त जिला कलक्टर

है। अपीलांट ने बीमार होने का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया है। अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत होने से भी निरस्त योग्य है। अभिभाषक रेस्पो0 ने डी.एन.जे 2014 (3) पेंज संख्या 1050–1052 एंव आर.बी.जे 2016 (23) पेंज 36–41 प्रस्तुत किये है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस तथा पत्रावली का अध्ययन किया। विरासत का नामान्तकरण संख्या 331 दिनांक 24.12.2007 वाके ग्राम बडला तहसील देवली पन्ना पुत्र केसरा कोम मीणा के फोत होने पर नारायण पुत्र पन्ना कोम मीणा निवासी बडला व विरासत का नामान्तकरण संख्या 496 दिनांक 23.06.2011वाके ग्राम बडला नारायण पुत्र पन्ना जाति मीणा के फोत होने पर उदयलाल पुत्र सुनीता पुत्री रतनी पत्नि स्व0 नारायण जाति मीणा निवासी बडला तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकृत किया गया हैं। अपीलांट व रेस्पो0 मीणा समाज से संबंधित है मीणा समाज मे लडकी की शादी के बाद पिता की सम्पत्ति मे कोई अधिकार नही रहता है तथा मीणा समाज पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम भी लागू नही होता है। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दष्टान्त डी.एन.जे 2014 (3) पेंज संख्या 1050 पर उल्लेखित हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 धारा 2 (2) अनुसूचित जनजाति मीणा समुदाय की विवाहित महिला को उसके पिता की सम्पत्ति मे हकधार नही माना गया है तथा नामान्तकरण संख्या 331 दिनांक 24.12.2007 व नामान्तकरण संख्या 496 दिनांक 23.06.2011 की अपील क्रमशः 9 वर्ष 10 माह तथा 6 वर्ष 4 माह पश्चात पेश की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 लि0एक्ट मे अपीलांट को बीमार होने से अपील देरी से प्रस्तुत करने हेतु अंकित किया है,परन्तु इसकी तायद मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य–सबूत पेश नही किये है तथा अन्य कोई ऐसा कारण अंकित नही किया है जिससे अपील पेश करने मे देरी हुई हो। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)